



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.06.2021

1-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा धोखधडी से फर्जी दस्तावेज बनवाकर 67 लाख 30 हजार 925 रूपये हडपने वाला 25 हजार रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.06.2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 679/20 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि व 66 आई टी एक्ट में वांछित एवं 25 हजार रूपये का ईनामी अभियुक्त विक्रम कटारिया पुत्र स्व श्री सुनील कुमार कटारिया नि0 बी 1212 मिगसन ग्रीन मैनसन सैक्टर जीटा-1 ग्रेटर नोएडा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर खाता धारक श्री सुरेश यादव के मोबाइल नम्बर जो बैंक खाता मे लिंक था की दूसरी नई सिम निकलवा कर एवं फर्जी दस्तावेज से डेबिट कार्ड जारी कराकर खाते से 6730925रु0 (67 लाख तीस हजार नौ सौ पच्चीस रु0) हडप लिये गये थे।

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर योजनावद्ध तरीके से खाता धारक श्री सुरेश यादव के मोबाइल नम्बर जो इंडसइंड खाता मे लिंक था की दूसरी नई सिम निकलवाकर एवं फर्जी दस्तावेज से डेबिट कार्ड जारी कराकर खाते से 6730925- रु0 (67 लाख 30 हजार 925 रु0) हडप लिये थे। हडपे गये रूपयों में से करीब 11 लाख रूपये डेबिट कार्ड द्वारा एवं शेष रूपयो की आई एम पी एस के माध्यम से भिन्न भिन्न ज्वैलर्स से सोने के सिक्के एवं ज्वैलरी खरीदकर बेचकर आपस में रूपयों का बटवारा कर लिया था जिसमे सह अभियुक्त 1. सतीश राना पुत्र रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत वर्तमान निवासी एम जी 10 सी एल्लिको माइस्टिक ग्रीन अपार्टमेन्ट ओमीक्रोन प्रथम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2. अनुज पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी सैदपुरा थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी डी 93 ज्यू प्रथम नियर घोडी बछेडा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 3. जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्यामलाल निवासी सुषमा सदन गुप्ता कालोनी राजा गार्डन जगजीतपुर कनखल हरिद्वार 4. प्रदीप राना पुत्र रतन सिंह नि० अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जिला बागपत हाल पता दिल्ली अज्ञात स्थान को पूर्व मे ही इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त मुकदमे में वादी का ठगी किया गया 67 लाख रुपया वादी के खाते में भरसक प्रयास कर वापस कराया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा दौराने पूछताछ अपने सह अभियुक्तों (पूर्व मे गिरफ्तार एवं फरार) के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर थाना बीटा 2 पर पंजीकृत मु०अ०सं० 391/16 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा की घटना काभी इकबाल किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

विक्रम कटारिया पुत्र स्व० श्री सुनील कुमार कटारिया निवासी बी 1212 मिगसन ग्रीन मेनसन सैक्टर जीटा 1 थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु०अ०सं० 679/20 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि व 66 आई टी एक्ट
2. मु०अ०सं० 391/16 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा

3.मु0अ0सं0 19/2021 धारा 420,406,465,467,468,471,474,475,34,120बी भादवि
बनाम अनुज उपरोक्त थाना राबोडी पुलिस स्टेशन ठाणे सिटी मुम्बई



2-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा, हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.06.2021 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 360/2019 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि के अंतर्गत हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त कल्लू पुत्र फज्जी नि0 ग्राम मेहन्दीपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर को ग्राम मेहन्दीपुर अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया है। दिनांक 19.09.2019 को वांछित अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ईशुब पुत्र शमशाद निवासी ग्राम मेहन्दीपुर थाना रबूपुरा पर जान से मारने की नियत से कट्टे/ बन्दूक से गोली चलायी थी।

अभियुक्त का विवरण:

कल्लू पुत्र फज्जी नि0 ग्राम मेहन्दीपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 360/2019 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।



3-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा, सेक्टर 51 में होटल की आड़ में देह व्यापार कराने वाले अभियुक्तों का पर्दाफाश, मौके से 6 संचालक, 2 संचालिकाएं, 10 ग्राहक गिरफ्तार व 10 पीडित युवतियों को छुड़ाया गया।

दिनांक 28.06.2021 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा बी 52 सेक्टर 51 नोएडा होटल में देह व्यापार कराने वाले 6 संचालक 2 संचालिकाएं, 10 ग्राहक को गिरफ्तार किया गया तथा 10 पीडित युवतियों को छुड़ाया गया है, मौके से जिन मोबाइलों द्वारा बुकिंग की जाती थी बरामद तथा हिसाब किताब रजिस्टर व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गयी है।

अभियुक्तों का विवरण:

- (1) मनीष गुप्ता पुत्र राम प्रताप गुप्ता नि० ग्राम तुषार थाना तरियानी जिला सीवर बिहार हाल बी-52 सै०51 नोएडा थाना सै०49 नोएडा जिला गौ०बु०नगर
- (2) गजेन्द्र कुमार पुत्र स्व उदयराम नि० 144-डी पाकेट 1 मयूरविहार फेस 1 चिल्ला सरौदा खादर पूर्वी दिल्ली
- (3) राकेश मिश्रा पुत्र आर.के. मिश्रा निवासी 810 टावर 14 सिल्वर सिटी ग्रेटर नोएडा
- (4) रंजीत गुप्ता पुत्र स्व० गणेश प्रकाश निवासा बी-1335 जीडीए कालोनी मयूर विहार फेस-तृतीय
- (5) पंकज कुमार पुत्र कृष्णा प्रसाद निवासी लुक्सर जेल के पास चाईन कन्सट्रक्शन इण्डिया प्रा०लि० ग्राम लुक्सर थाना ईकोटैक-1 नोएडा गौ०बु०नगर
- (6) संयम जैन पुत्र मनोज कुमार जैन निवासी 40 पुष्पांजली एन्क्लेव दिल्ली 92
- (7) बलजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी सी-115 सै०52 थाना सै०24 नोएडा
- (8) अमित कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी बरौला सै०49 नोएडा
- (9) मुकुल कुमार पुत्र अनिल सिंह निवासी कड़कड़ मॉडल साहिबाबाद थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

- (10) रवि पुत्र दिनेश नैथानी निवासी 157 पीपल अपार्टमेंट द्वारका सै017 दिल्ली
- (11) अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी बी-1330 जीडी कालोनी मयूरविहार फेस-3 दिल्ली
- (12) आकाश कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ई-78 गली न0 1 सै020 थाना सै020 नोएडा गौ0बु0नगर,
- (13) शिवम पुत्र मनोज चैहान निवासी लाल गढ़ी जिला बुलन्दशहर हाल बी-52 सै051 थाना सै049 नोएडा
- (14) रमेश पुत्र स्व. ए कुमार निवासी 14/382 निवासी डचनपुरी निवासी नई दिल्ली 62 हाल बी-52 सै051 थाना सै049 नोएडा
- (15) योगेश पारासर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी 147 निति खण्ड इंद्रापुरम गाजियाबाद,
- (16) प्रमोद पाल पुत्र राम आसरे पाल निवासी जेजे कालोनी सै016 थाना सै020 नोएडा गौ0बु0नगर
- (17) मिलन ठाकुर पत्नी मुकुन्द ठाकुर निवासी एल. 58 सौरभ विहार दिल्ली हाल ग्राम गिझौड़ सै053 थाना सै 24 नोएडा गौ0बु0नगर
- (18) पूजा नागपाल उर्फ दिव्य नागपाल पुत्री सुभाष चन्द्र नागपाल निवासी बी-1004 फोर्च्यू रेजिडेन्सी

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 725/2021 धारा 370ए(2)/34 भादवि0 व 3/4/5/7(1)(a)/7(2)(b) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956।

4-थाना फेस-3 पुलिस द्वारा, फेस मास्क बनाकर देने के नाम पर 03 करोड 03 लाख 19 हजार 200 रूपये की धोखाधड़ी करने वाला एक वाछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.06.2021 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 47/2021 धारा 420/406/467/468/471 के अंतर्गत वांचित अभियुक्त गुरदीप सिंह जयसवाल पुत्र जोगा सिंह जयसवाल निवासी के-168 साउथ सिटी 1 थाना सैक्टर 40 गुड़गांव , हरियाणा मूल पता

1128 मधुवन कालौनी इनकम टैक्स वाली गली मेरठ रोड़ हापुड़ थाना हापुड़ जिला हापुड़ को थाना सेक्टर 40 गुड़गाँव हरियाणा से अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण:

दिनांक 10.01.2021 को श्री अमन मेहरा से अभियुक्तों 1. गुरदीप सिंह जसवाल पुत्र श्री जोगा सिंह तथा साथी 2. ए0के0 कुमार उर्फ डा. कुमार उर्फ मिस्टर कुमार 3. कीर्ति अखिलेश मिश्रा प्रोपाराइटर आफ सिलिकान यूनियन 4.असीम महेश्वरी 5. मिस्टर एस0के0 मिश्रा 6. अन्य अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी से फेस मास्क बनाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए एडवान्स के रूप में वादी से 3,03,19,200 रूपये कई बार में ले लेना वादी को न तो फेस मास्क बनाकर देना और न ही मांगने पर पैसे वापस करना।

अभियुक्त का विवरण:

गुरदीप सिंह जयसवाल पुत्र जोगा सिंह जयसवाल निवासी के-168 साउथ सिटी 1 थाना सैक्टर 40 गुड़गाँव , हरियाणा मूलपता 1128 मधुवन कालौनी इनकम टैक्स वाली गली मेरठ रोड़ हापुड़ थाना हापुड़ जिला हापुड़

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 47/2021 धारा 420/406/467/468/471 थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।



5-थाना फेस-3 पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.06.2021 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 621/21 धारा 323/307 भादवि के अंतर्गत हत्या का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्तों 1 अंकित पुत्र बब्लू निवासी धुमरी थाना जैथरा जिला एटा वर्तमान पता ग्राम बहरामपुर थाना विजयनगर गा0बाद 2- गौतम कुमार मनवीर सिंह नि0 रकूलपुर पुर थाना आहार जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता उपरोक्त को सेक्टर 62 गोल चक्कर नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अंकित पुत्र बब्लू निवासी धुमरी थाना जैथरा जिला एटा वर्तमान पता ग्राम बहरामपुर थाना विजयनगर गा0बाद
2. गौतम कुमार मनवीर सिंह नि0 रकूलपुर पुर थाना आहार जिला बुलन्दशहर हाल पता उपरोक्त

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 621/21 धारा 323/307 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर



6-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा वी-वी इम्पेक्स कम्पनी से गबन कर कम्पनी की 19 किलो 496 ग्राम चाँदी ले जाने की घटना का अनावरण करते हुए चाँदी ले जाने

वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त बीएमडब्लू कार सहित 19 किलो 496 ग्राम चाँदी बरामद।

दिनांक 28.06.2021 को वी-वी इम्पेक्स कम्पनी एनएसईजेड नोएडा के अधिकृत अधिकारी श्री कपिल चड्ढा द्वारा सूचना दी गई कि उनकी कम्पनी वीवी इम्पेक्स एनएसईजेड नोएडा से कम्पनी मालिक श्री सुमेर वर्मा के मित्र अजीत सिंह अपने 02 अन्य साथियों के साथ कम्पनी में आये और कम्पनी की मशीनो आदि पर आभूषण के रूप में बनायी जा रही चाँदी को बनी व अधबनी हालत में उठाकर ले गये। सूचना पर थाना फेस 2 पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर कम्पनी के कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी करते हुये अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र स्व० चन्द्रभान सिंह 2. प्रशान्त सिंह पुत्र अजीत सिंह 3. जगतपाल पुत्र आशाराम को दिनांक 29.06.2021 को सैक्टर 94 नोएडा चरखा चौक गोलचक्कर के पास से कार बीएमडब्लू रजि० नं० डीएल 3 सीबीवी 1926 सहित गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कम्पनी से गबन की गई 19 किलो 496 ग्राम चाँदी बरामद हुई है। अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 382/2021 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण से बरामदगी व इनके द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र कर कम्पनी की चाँदी गबन करने के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 120बी/34/411 भादवि की बढोतरी की गई है ।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अजीत सिंह पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान निवासी 126 द्वितीय तल वैशाली पीतमपुरा थाना मौर्या एन्कलेव दिल्ली
2. प्रशान्त शौकीन पुत्र अजीत सिंह निवासी 126 द्वितीय तल वैशाली पीतमपुरा थाना मौर्या एन्कलेव दिल्ली
3. जगतपाल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम गुटकामऊ थाना पाली जिला हरदोई हाल पता मंगोलपुरी रोहिणी थाना मंगोलपुरी दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 382/2021 धारा 406/34/120बी/411 भादवि० थाना फेस 2 सैन्ट्रल नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 19 किलो 496 ग्राम चाँदी
2. घटना में प्रयुक्त कार बीएम रजि० नं० डीएल 3 सी बी वी 1926



7- थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में फर्जी दस्तावेज बनाकर अपार्टमेंट खरीदने तथा अन्य तरीकों से धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.06.2021 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा मु०अ०स०-968/2017 धारा 420/467/468/471/34भादवि,मु०अ०स०-956/2017,धारा 420 /406/ 467/ 468/471 / 409/504/506 भादवि व मु०अस० 1016/17 धारा 420/467/468/471/406/409/120बी भादवि के अंतर्गत विभिन्न अभियोगो मे अपार्टमेंट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी,फर्जी दस्तावेज तैयार कर 41 लाख की धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवसीय भूखंड के नाम पर पैसा लेने का कार्य करने वाले वांछित चल रहे अभि० राजेश गुप्ता पुत्र स्व० लालमणि गुप्ता निवासी ए-136 शिवालिक मालवीय नगर थाना मालवीय नगर दिल्ली को अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

राजेश गुप्ता पुत्र स्व० लालमणि गुप्ता निवासी ए-136 शिवालिक मालवीय नगर थाना मालवीय नगर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु०अ०स० 968/2017 धारा 420/467/468/471/34 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा

2. मु0अ0स0-956/2017 धारा 420/406/467/468/471/409/504/506 भादवि थाना
सेक्टर 20 नोएडा

3.मु0अस0 1016/17 धारा 420/467/468/471/406/409/120बी भादवि थाना सेक्टर 20
नोएडा

